रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 1974/वैशाख 11, 1896

No. 107] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 1974/VAISAKHA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st May 1974

G.S.R. 201(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts coffee of the varieties commonly known as Liberia and Excelsia, falling under sub-item (1) of Item No. 2 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of seventy-five rupees per quintal.

[No. 81/74]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 मई, 1974

सा० का० नि० 201 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसी किस्मों की काफी को, जो सामान्य रूप से लाइबीरिया और एक्सेल्सिया के नाम से जानी जाती हैं और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 2 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आती हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना पचहत्तर रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो ।

[सं० 81/74]

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 18/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, the Central Government hereby exempts aerated waters falling under Item No. 1D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that,—

(i) in or in relation to the manufacture of such aerated waters, no Process is ordinarily carried on with the aid of power; or

(ii) where in or in relation to the manufacture of such aerated waters any process is ordinarily carried on with the aid of power, the total equivalent of power so used by or on behalf of a manufacturer in one or more factories does not exceed ten Horse Power.

[No. 82/74]

सा० का० नि० 202 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 18/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1970 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद सं० 1-घ के अन्तर्गत आने वाले ऐरेटेड वाटर को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है :

परन्तु यह तब जब —

(i) ऐसे ऐरेटेड वाटर के विनिर्माण में या उसके सम्बन्ध में पावर की सहायता से सामान्यतया कोई प्रक्रिया न की जाती हो; अथवा

(ii) जहां ऐसे ऐरेटेड वाटर के विनिर्माण में या उसके सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया सामान्यतया पावर की सहायता से की जाती हो, वहां एक या अधिक कारखानों से विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से इस प्रकार प्रयुक्त कुल पावर तुल्यता दस हार्स पावर से अधिक न हो ।

[सं० 82/74]

G.S.R. 203(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 21/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974, namely:—

In the said notification, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that in the case of special boiling point spirit with nominal boiling point range 63—70°C the duty shall be reduced to one thousand rupees per kilolitre at fifteen degrees of Centrigrade thermometer, if—

(a) it is proved to the satisfaction of the Collector of Central Excise that such spirit is intended for use in the manufacture of solvent-extracted vegetable non-essential oils, or the extracting fat from silk worm pupae; and

(b) the procedure set out in Chapter X of the said Central Excise Rules is followed."

[No. 83/74]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

सा० का० नि० 203 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 21/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"परन्तु ऐसी विशेष क्वथनांक वाली स्पिरिट की दशा में जिसका अंकित क्वथनांक 63–70 डिग्री सेंटीग्रेड हो शुल्क कम कर के पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर प्रति किलो लीटर एक हजार कर दिया जाएगा, यदि —

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान प्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि ऐसी स्पिरिट विलायक निष्कर्षित वनस्पति अवाष्पशील तेलों के विनिर्माण में, या रेशम के कीड़े के प्यूप से वसा निष्कर्षित करने के, प्रयोग के लिए आशयित है; और

(ख) उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो ।"

[सं० 83/74]

बालकृष्ण अग्रवाल, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st May 1974

G.S.R. 204(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 27/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974, namely:—

In the said notification, in the Table, after S. No. 5 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"6	Polyethylene coated paper, polyethylene coated board, waxed paper and waxed board.	Duty leviable *minus* the amount of duty already paid on the base paper or bord used in their manufacture.	Nil"

[No. 84/74]

राजस्व और बीमा विभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 मई, 1974

सा० का० नि० 204 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 27/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 5 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

(1)	(2)	(3)	(4)
"6	पोलिएथीलीन लेपित कागज, पोलिएथीलीन लेपित बोर्ड, मोमी कागज और मोमी-बोर्ड	उद्ग्रहणीय शुल्क जिसमें से शुल्क की वह रकम घटा दी गई हो जो उनके विनिर्माण में प्रयुक्त आधारी कागज या बोर्ड पर पहले दी जा चुकी है।	कुछ नहीं "

[सं० 84/74]

G.S.R. 205(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts polyethylene coated paper, polyethylene coated board, waxed paper and waxed board, falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eighty paise per kilogram, subject to the condition that the appropriate duty of excise or additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be, has already been paid in respect of the base paper or board used in their manufacture :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who avails of—

(i) the special procedure prescribed under rule 56A of the aforesaid Rules in respect of the duty paid on base paper or board; or

(ii) the exemption specified against S. No. 5 or S. No. 6 of the Table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 27/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974.

Explanation.—For the purposes of this notification, the base paper or board used in the manufacture of polyethylene coated paper, polyethylene coated board, waxed paper or waxed board shall be deemed to have paid the appropriate duty of excise or the additional duty leviable under section 2A of the said Indian Tariff Act, 1934 if it is purchased from the market.

[No. 85/74]

सा० का० नि० 205 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आने वाले पोलिएथीलीन लेपित कागज़, पोलिएथीलीन लेपित बोर्ड, मोमी कागज़ और मोमी बोर्ड को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना अस्सी पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक हो, किन्तु शर्त यह है कि, यथा स्थिति, समुचित उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क उनके विनिर्माण में प्रयुक्त आधारी कागज़ या बोर्ड की बाबत दिया जा चुका हो :

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात ऐसे किसी विनिर्माता को लागू नहीं होगी, जो—

(i) आधारी कागज़ या बोर्ड पर दिए गए शुल्क की बाबत पूर्वोक्त नियमों के नियम 56क के अधीन विहित विशेष प्रक्रिया का; अथवा

(ii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 27/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 से उपाबद्ध सारणी की क्रम सं० 5 या क्रम सं० 6 के अधीन विनिर्दिष्ट छूट का,

लाभ उठाता है ।

स्पष्टीकरण —इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए पोलिएथीलीन लेपित कागज़, पोलिएथीलीन लेपित बोर्ड, मोमी कागज़ या मोमी बोर्ड के विनिर्माण में प्रयुक्त आधारी कागज़ या बोर्ड के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि यदि उसे बाजार से खरीदा गया है तो, उस पर समुचित उत्पाद-शुल्क या उक्त भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 2क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क दिया जा चुका है ।

[सं०85/74]

G.S.R. 206(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electrical stampings and laminations falling under Item No. 28A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a quantity not exceeding twenty metric tonne, cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon;

Provided that—

(i) this exemption shall not apply to any such electrical stampings and laminations manufactured by a manufacturer if the total quantity of such electrical stampings and laminations so cleared by such manufacture during such financial year exceeds forty metric tonne;

(ii) where a factory producing such electrical stampings and laminations is run at different times in any financial year by different manufacturers, the quantity of such electrical stampings and laminations so cleared from such factory in any such financial year at nil rate of duty shall not exceed twenty metric tonne;

(iii) in the case of such electrical stampings and laminations manufactured by a manufacturer the quantity of which so cleared during such financial year exceeds twenty metric tonne but does not exceed forty metric tonne, this exemption shall apply to the first clearances thereof upto a quantity not exceeding twenty metric tonne:

Provided further that a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the period commencing on the 1st May, 1974, and ending on the 31st March, 1975, electrical stampings and laminations upto a quantity not exceeding eighteen metric tonne subject to the condition that the quantity of electrical stampings and laminations cleared for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during that period does not exceed thirty-six metric tonne.

[No. 86/74]

सा० का० नि० 206 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उन विद्युत स्टाम्पिग और लैमिनेशन को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 28क के अन्तर्गत आते हैं, बीस मीटरी टन से अनधिक मात्रा तक, जिनकी निकासी एक या अधिक कारखानों से किसी भी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल को या उसके पश्चात् गृह उपयोग के लिए की गई हो, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु—

(i) यह छूट किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसी किसी विद्युत् स्टाम्पिग और लैमिनेशन को लागू नहीं होगी यदि उस वित्तीय वर्ष के दौरान उस विनिर्माता द्वारा इस प्रकार निकासी की गई ऐसी विद्युत् स्टाम्पिग और लैमिनशन की कुल मात्रा चालीस मीटरी टन से अधिक हो ;

(ii) जहां ऐसी विद्युत स्टाम्पिग और लैमिनेशन का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जा रहा हो वहां ऐसे कारखाने से और ऐसे किसी वर्ष में शुल्क की शून्य दर से इस प्रकार निकासी की गई उन विद्युत् स्टाम्पिग और लैमिनेशन की मात्रा बीस मीटरी टन से अधिक नहीं होगी ;

(iii) किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसी विद्युत स्टाम्पिंग और लैमिनेशन की दशा में जिसकी उस वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार निकासी की गई मात्रा बीस मीटरी टन से अधिक हो किन्तु चालीस मीटरी टन से अधिक न हो, यह छूट उसकी प्रथम निकासियों को, बीस मीटरी टन से अनधिक मात्रा तक, लागू होगी ।

परन्तु यह और भी कि विनिर्माता को पहली मई, 1974 को आरम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान गृह उपभोग के लिए विद्युत स्टाम्पिंग और लैमिनेशन की अठारह मीटरी टन से अनधिक मात्रा तो निकासी करने की इस शर्त पर अनुज्ञा होगी कि ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से उस अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से गृह उपभोग के लिए निकासी की गई विद्युत स्टाम्पिंग और लैमिनेशन की मात्रा छत्तीस मीटरी टन से अधिक न हो ।

[सं० 86/74]

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sensitised papers (including Diazotype papers) and sensitised paper boards, falling under Item No. 37C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty for the time being leviable on the base paper or paper board, as the case may be, if not already paid, *plus* five per cent *ad valoem*.

[No. 87/74]

R. JAYARAMAN, Under Secy.

सा० का० नि० 207 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37-ग के अन्तर्गत आने वाले सुग्राहित कागजों (जिनके अन्तर्गत डायजो टाइप कागज भी है) और सुग्राहित कागज बोर्डों को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना, यथास्थिति, आधारी कागज या कागज बोर्ड पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क से, यदि वह न दिया गया हो तो, और उस पर मूल्यानुसार पांच प्रतिशत जोड़ कर निकले योग से अधिक हो ।

[सं० 87/74]

आर० जयरामन्, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974